

From-I

(For linear projects)

Government of India office of the District Collector Pauri Garhwal 14/10/2019

No. सं. 64/8-ल. र. स. - 2019-20

Date 03/09/2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF Issued Guidelines on submission of Evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land Proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's Letter Dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is Certified that 33 Ha. of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Division Dhumakot for National Highway Satpuli to Srinagar road in Pauri Garhwal District.

It is Further Certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been Carried out for the entire 33 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forests Rights committee (s), Gram Sabha (s) sub division level Committee and the district level Committee are enclosed as annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it ;
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl: As above.


(Sh. D.S. Garhwal)

(District Collector, Pauri Garhwal)

जिलाधिकारी
गढ़वाल

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of India
Office of the District Collector Pauri Garhwal

No./RB/DESK//4/3-B/RR/925

Dated: 03/09/19

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land processed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified then 33 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Authority of India for project of Satpuli to Srinagar road (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal falls within jurisdiction of **Mar Gaon, Aali, Rachuli, Bonshal Talla, Jairaj, Kameda, Amkoti, Srikot, Khandah, Srinagar**, in Pauri Garhwal district.

It is further certified then ;

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 33 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the Forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure II
- b) The proposal for such Diversion (with full Details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- c) The each of Concerned of Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ process under the FRA have been carried out that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the processed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha **Mar Gaon, Aali, Rachuli, Bonshal Talla, Jairaj, Kameda, Amkoti, Srikot, Khandah, Srinagar** village(s) is enclosed as annexure II.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present.
- e) The diversion of Forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA completed and the Gram Sabha have giving their consent to it.
- f) The right of primitive tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.


(Sh. D.S. Garhwal)

(District Collector, Garhwal)

जिलाधिकारी
गढ़वाल

It is further certified that minutes of construction of national Highway – 119 (534) Km. 139+00 To 196+00 (Kotdwar to Satpuli) at Kotdwar, Pauri-Garhwal F.R.A. is as following :-

Sr. No.	Particular	Remarks
1	The completed process of identification and settlement of right under the F.R.A. had been carried out for the entire 33,000 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub divisional level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
2	The division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the F.R.A. have been completed and the Gram Sabhas have been give consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid construction of highway is attached.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribe group and pre agriculture communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

3/5/19
Member District Officer
Pauri Garhwal
जिला अधिकारी
गढ़वाल

21/1/19
District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal
जिला समाज कल्याण अधिकारी
गढ़वाल

21/1/19
Divisional Forest Officer
Kotdwar
विवेक कुमार
गढ़वाल

21/1/19
Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय हाईवे
बुलडोजर (गढ़वाल)

21/1/19
Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
जिलाधिकारी
गढ़वाल

**OFFICE OF THE DEPUTY
COMMISSIONER DISTRICT PAURI (U.K)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) .2006.

A meeting of the district level committee of Pauri district , constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. D.S Garhiyal Deputy Commissioner Pauri Garhwal on dated ~~02/05/19~~^{14/05/19} at time ~~5:40~~^{5:40} at Pauri in which application claim in rights in ~~.....~~^{.....} area measuring Hect for the construction of Pauri forest land under FRA.2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pauri and Srinagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection / and claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose .

Place : Pauri

Dated: ¹⁴~~02~~/¹⁰~~05~~/2019

^{B.R.}
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level Committee

जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक ^{14/12/19} 05/03/19 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में जनजाति एवं उन्मत्त परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संगन्धी गैठक रही।:-

- 1-सर्व श्री धीराज सिंह गब्याल जिलाधिकारी गढ़वाल
- 2-~~लक्ष्मण सिंह रावल~~ प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पौड़ी
- 3-SUNITA ARORA जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी
- 4-संतोष कुमार रेवेलवाल अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी

जिलाधिकारी
अध्यक्ष
गढ़वाल
वन सहायक
वन प्रभाग, पौड़ी
सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल
सदस्य
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल

बताया गया है कि पौड़ी तहसील में सतपुली से श्रीनगर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप - स्तरीय समिति वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यावाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं।

मार्गों का विवरण निम्नवत है:-

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग -119 सतपुली से श्रीनगर मोटर मार्ग के अन्तर्गत मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 80 कि०मी० है। इस मोटर मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र 4.367 हे०, सिवल एवं सोयम वन क्षेत्र 20.115 हे०, वन पंचायत वन क्षेत्र 0.151 हे० तथा मलवा निस्तार भूमि ०7.३2 हे० प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि पर कोई आदिवासी/जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से गाढ का मरगाँव, आली, रछूली, बौंसाल तल्ला, जयराज, कमेडा, अमकोटी, पैडुल, डांग, श्रीकोट, खण्डाह, श्रीनगर लाभान्वित होंगे। इन गांवों को जोड़ने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कोटद्वार से सतपुली मोटर मार्ग को निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र 4.367 हे० तथा सिविल एवं सोयम वन क्षेत्र 20.115 हे० वन पंचायत वन क्षेत्र 0.151 हे० एवं मलवा निस्तारक 7.92 हे० भूमि राष्ट्रीय राज्य मार्ग को खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया है।

धीराज सिंह गडवाल
जिलाधिकारी गडवाल।
जिलाधिकारी

॥ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० धुमाकोट ॥

पत्रांक

दिनांक 14/05/2019

प्रतिलिपि—

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी, पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पौड़ी, पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त, पौड़ी गडवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

रजनीश
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अभियन्ता अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
धुमाकोट -पौड़ी

Title of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200,000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नकुवाड

तहसील चौबेरावा, जिला पौड़ी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जंगल पौड़ी के अन्तर्गत 195.200 से 276.000 तक NH-119 परियोजना के निर्माण हेतु (4.367) हे० 42 सठ्क आवंटित वन भूमि, 20.115 हे० शिविल सोयम भूमि 4.151 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 24.266 हे० वन भूमि का चौबेरावा वि. श्रीनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नकुवाड द्वारा दिनांक 7/4/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजता एजेंडरी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किराी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किराी गैर आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

घरों के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौबेरावा, नकुवाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंडरी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० AD
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत अधिकारी
जमशेदपुर जिला नकुवाड
विभाग/संस्था चौबेरावा वि. श्रीनगर
मुख्य कार्यालय उत्तराखण्ड

अनिता नेनी
अतिरिक्त प्रमुख एक्सेक्यूटिव
ग्राम-नकुवाड पो-पाटीरीन
पौड़ी नकुवाड (उत्तराखण्ड)



ग्राम प्रधान/संरक्षक
सुहर सहित

प्रा.प - 30.3

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=200
मनपुरी - कालपा - श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डांग

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत की

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे0) आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि
हे0, वन पंचायत भूमि 0.15 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 का भूमि का राजस्व वन
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डांग द्वारा दिनांक 31/12/2016 को

सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों
के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा
नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के
निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परमपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम डांग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के कि0मी0 195=200 से 276=200
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डांग
वि0सं0 पौड़ी गढ़वाल



प्रारूप - 30.3

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195-200 से 276.000
सतपुली-जलपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम विष्णु गंगा

तहसील पूँछी जिला पूँछी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पूँछी-गढ़वाल के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि.....

742 प्रस्ताव निस्कारक

हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याशित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विष्णु गंगा द्वारा दिनांक 31/12/2016

सम्बन्धित ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा साफ्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौली, डूँगी, जलपा, नौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि श्रीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विष्णु गंगा
वि0ख0. पूँछी (गढ़वाल)

ह0/-
ग्राम प्रधान/संस्था
ग्राम विष्णु गंगा

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=00 सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम..... नौगांव

तहसील..... पौड़ी जिला..... पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 195=200 से 276=00 सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क NH-

19 की चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (4.36 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि.....
1.12 सड़क चौड़ाई हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 32.533 हे० वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा दिनांक 02/01/2019 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संरक्ष में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौगांव ज्वालपा सेवा, कोण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 276 सीन नं० 119 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत सदस्य
वि० सं०. 01.01.2019 गढ़वाल



प्राप्य- 30.3

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195.200 से 276.200
सतपुली-जालपा-शीतगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चिठडालू

तहसील चौड़ी जिला चौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत एम-119 सतपुली से शीतगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 30.115 हे0 सिविल सोयम भूमि

742 सतपुली विस्तार हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चिठडालू द्वारा दिनांक 30/12/2016 को

सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रागवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिठडालू, नौडियालगाव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 सतपुली से शीतगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।



ह0/-
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम चिठडालू
वि0ख0. के. ए. ए. गढ़वाल

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
गृहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-खीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....डुंग-रेठाणा
तहसील.....सिहार जिला.....पश्चिम बंगाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....डुंग-रेठाणा के अन्तर्गत MM-119 (S34) सतपुली से खीनगर
परियोजना के निर्माण हेतु (4.867) हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि.....
7092 मसुदा निशानि हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का 21.289 वन
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....डुंग-रेठाणा द्वारा दिनांक 02/03/2017 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....डुंग-रेठाणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुलाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित पंचायत
विकास खण्ड.....डुंग-रेठाणा
जनपद.....डुंग-रेठाणा



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195-200 से 276-00
सतपुली - ज्वालपा - श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अणेथ

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मन्ना 9 सतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.1267 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि

7.42 मक्का निकार 3 हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अणेथ द्वारा दिनांक 01/01/2017 को

सम्बन्धित ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/ अणेथ
ग्राम संचायक विकास अधिकारी
ग्राम संचायक अणेथ
वि0ख0.क.सं. 1.51 ज्वालपा



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०९४० १११ के कि०मी० १९५-२०० से २७६.०००
सतपुली-कोलपा-शीनगर को लेन सड़क चौड़ी करण बाबत:

वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पीपली

तहसील पेड़िया जिला पेड़िया गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पेड़िया गढ़वाल के अन्तर्गत १५-११९ सतपुली से शीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (४.३६५ हे० आरक्षित वन भूमि, २०.११५ हे० सिविल संगम भूमि, ११२ मज्जा मिटर हे०) वन पंचायत भूमि (१.५१ हे०) अर्थात् कुल ३२.८९५ हे० वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पीपली द्वारा दिनांक ३०/१२/२०१६ को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। सर्वश्रेष्ठ सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि पीपली-सतपुली-शीनगर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राजस्व वन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर :-
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत पीपली
 वि० सं० पेड़िया गढ़वाल

हस्ताक्षर :-
 ग्राम प्रधान/समस्त
 गृह सचिव

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 19.522^{km} से 27.62^{km} अनूपली-जगहना-झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण दावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अगरीडा

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद

पौड़ी गढ़वाल

19.522^{km} से 27.62^{km} तक NH 119 सड़क चौड़ीकरण की

परियोजना के निर्माण हेतु (4.26^{ha} हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि, 74.2 मालती निस्सार हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 28.553 हे० वन भूमि का राजख वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत

अगरीडा

द्वारा दिनांक 31/12/2016 को

सम्पन्न ग्राम/राभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आपलू लुग्गा रांग, मराडा, कोडली रांग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से 27.62^{km} तक झीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिरो जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

80/-
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी
वि०ख०. पौड़ी गढ़वाल

प्राकृतिक देवी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर शाहिदा
पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 274+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बायत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रडली

तहसील घोडी जिला घोडी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.267 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि

7.92 सप्ताह निस्वार्थ) हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 34.533 हे० वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रडली द्वारा दिनांक 19.03.12 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रडली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुन्नाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० Sudeep
ग्राम सचिव घोडी
मुहर सहित

ह० /
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
कमल देवी
मुख्य अधिकारी
वन विभाग
पौड़ी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सेतुपुली-भीनमर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम श्री कोट खण्ड

तहसील भीनमर जिला श्री गंगानगर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद श्री गंगानगर के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु (4.36 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.11 हे० सिविल सोयम भूमि

7-92 अथवा जितना है) हे०, वन पंचायत भूमि (0.15 हे०) अर्थात् कुल 24.55 हे० वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्री कोट खण्ड द्वारा दिनांक 2/8/13 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्री कोट खण्ड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत श्री कोट खण्ड
तहसील भीनमर
जिला श्री गंगानगर



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=00 सतपुली-जालपा-झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम थापली (कफोलखुं)

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल

195=200 से 276=00 सतपुली-जालपा-झीनगर तक नम-119

सड़क पौड़ी गढ़वाल परियोजना के निर्माण हेतु (4:26:7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20:11:5 हे0 सिविल सोरम भूमि, 7-92 मम्बा निमरु हे0, वन पंचायत भूमि 0:15:1 हे0) अर्थात् कुल 32:55:3 हे0 वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थापली (कफोलखुं) द्वारा दिनांक 31/12/2016 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थापली, पौड़ी, जरेवेरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नम-119 परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत थापली
दिनांक 01/01/2017 गढ़वाल



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=07
सतपुरी - ज्वालपा - झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम हकीली विष्ट

तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ज्वालपा - झीनगर तक NH
119 सतपुरी परियोजना के निर्माण हेतु (4.36.7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि,
7.92 मामूला निरंतर) हे0, वन पंचायत भूमि (0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राज्य वन
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के दिषय में ग्राम पंचायत हकीली विष्ट द्वारा दिनांक 01/01/2017 को
सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों
के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा
नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के
निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम सतपुरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
मुहर सहित
वि०ख० पौड़ी गढ़वाल



ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्र० प्र०, हकीली विष्ट
पौड़ी गढ़वाल

उमरगा - वि० रेवडी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बायत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम वि० रेवडी

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मध-119 संतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि, 7.92 मल्ला निरवधि हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 32.533 हे० वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रेवडी तनी द्वारा दिनांक 14/11/20 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिधति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रेवडी तनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ संतपुली चौहान
ग्राम प्रधान/सदस्य
मुहर सहित
गढ़वाल

ह०/ संतपुली चौहान
ग्राम प्रधान/सदस्य
मुहर सहित
गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=200
सातपुली - जालण - झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तोली

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 195=200 से 276=200 सातपुली - जालण - झीनगर तक NH 119

सड़क चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (4.36 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि, 7.99 हे० मजदूरी ज़मीन) वन पंचायत भूमि 0.151 हे० अर्थात् कुल 32.553 हे० वन भूमि का राजस्व वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोली द्वारा दिनांक 22/01/2017 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि तोली, दाहिगाँव बल्ला, दाहिगाँव पल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के निर्माण प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

20/01/2017
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत तोली
तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-भीनमर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....

तहसील..... जिला.....

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद..... के अन्तर्गत NH 119 (सतपुरी से भीनमर)

परियोजना के निर्माण हेतु (4.36.7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.11.5 हे0 सिविल सोयम भूमि.....

742 म.म.मी. निम्नलिखित 0.15.1 हे0) अर्थात् कुल 22.333 हे0 वन भूमि का राजस्व 99.5

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत..... द्वारा दिनांक 18/11/16 को सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमकेट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

H0 /
ग्राम सचिव
मुहर सहित
पेडी मंड्याल, उत्तराखण्ड

H0 /-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्रधान ग्राम पंचायत
खांड नल्ला
दिगाक भावेलीकोरी
तहसील-चौबुट्टावाल

परियोजना का नाम :- सड़क राजमार्ग संख्या एनएच 118 के किन्चि 196+00 से 276+00 (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बायत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कमोडा पंचायत

तहसील सतपुरी जिला सतपुरी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी के अन्तर्गत NH-118 (535) सतपुरी के क्षेत्र

परियोजना के निर्माण हेतु (4.26.1 हे० आश्रित वन भूमि 20.1.15 हे० सिविल सोयमभूमि 7.92 Hectare (1-11/12) हे० वन पंचायत भूमि 1.51 हे०) अर्थात् कुल 26.87 हे० वन भूमि का सतपुरी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कमोडा द्वारा दिनांक 24/01/17 को सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोजता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के लब्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 को प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परमपूज्य अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कमोडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सतपुरी रोडबायी कुशाकोट प्रयोजता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित



परियोजना का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११९ के कि०मी० १९६+०० से २७६+०० (सतपुड़ी-भीमगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण कार्य।

वन अधिनियम अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सतपुड़ी

तहसील सतपुड़ी जिला सतपुड़ी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद सतपुड़ी के अन्तर्गत NH-119 (सतपुड़ी से भीमगर)

परियोजना के निर्माण हेतु (41.3651 हे० आरक्षित वन भूमि 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि 7.92 हे०) वन पंचायत भूमि 1.51 हे०) अर्थात् कुल 32.0553 हे० वन भूमि का सतपुड़ी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सतपुड़ी द्वारा दिनांक 17/07/17 को सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

घरों के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतपुड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सतपुड़ी परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा शक्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर

ग्राम पंचायत

सिखार

ह०/-

ग्राम प्रधान/संरक्ष

मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 194+00 से 226+00 (उत्तराखण्ड) में लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुपराज

तहसील पिंडी जिला पिंडी (उ०प्र०)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में राजपथ

पिंडी

के अन्तर्गत NH-119 सड़की से होकर

परियोजना के निर्माण हेतु (4:36:11) हे० आकृति का भूमि 20:115 हे० सिविल सीमा भूमि 7-92 मजदारी (मिलान) हे० वन पंचायत भूमि 0:15:1 हे० अर्थात् कुल 20:53 हे० वन भूमि का सुपराज वन विभाग/संस्था के फस में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्षित करने हेतु अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव के लिए वन विभाग सुपराज द्वारा दिनांक 08/01/17 को संपन्न ग्राम/समा में वन में प्रयोजन एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत कार्य की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकी अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्षा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुपराज के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सुपरीय रायभागी शुभाफोर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

सुपराज
ग्राम प्रधान/सचिव
वि०सं०.....



20/-
ग्राम प्रधान/सचिव सुपराज
मुखर सहित

Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - S rinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रोहरी / डोवला
तहसील रोहरी, जिला पैड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पैड के अन्तर्गत NH-119 के कि० मी० 195 से 276 एवम्
उक्त प्र.सं. 195 के वि.सं. 195 की परियोजना के निर्माण हेतु (हो आरक्षित वन भूमि 1.317 हो सिविल सोयन भूमि हो वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.317 हो वन भूमि का उक्त प्रमाण पत्र द्वारा रोहरी / डोवला विभाग/संस्था के प्ल में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रोहरी / डोवला द्वारा दिनांक 07/09/16 को सामान्यतः ग्राम पंचायत के वन अधिकार एजेंसी द्वारा आरक्षित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

इसके उपरान्त ग्राम रोहरी / डोवला द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पेश किया गया कि ग्राम रोहरी / डोवला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

हो/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित

हो/-

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित



ग्राम सचिव डोवला



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के वि०पी० 108+00 से 108+00 (रहोतह-सदामुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण आका।

वन अधिकार विधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पेड़वा
तहसील पेड़वा जिला पेड़वा (2169/1)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तरखण्ड में उत्तरखण्ड पेड़वा के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु (4-3-2-1-80 अर्थात् वन भूमि, 10-115-80 विविध वन भूमि, 7-4-2 भूमि/वि०पी० 108+00 से 108+00 अर्थात् वन भूमि का 2169/1, 9/1-80) अर्थात् कुल 2-5-53-80 वन भूमि का 2169/1, 9/1-80 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पेड़वा द्वारा दिनांक 08/01/17 को सम्मान 108/108 पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सक्ता में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

उक्त के उपरान्त ग्राम स्तर द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पेड़वा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु देने जहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

80/-
ग्राम सचिव पेड़वा
मुख्य सचिव पेड़वा

ग्राम पंचायत पेड़वा
पंचायत पेड़वा
मुख्य सचिव पेड़वा

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276
सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पंजा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पंजा

उपखण्ड 4-367 परिक्षेत्र के अन्तर्गत म. 119 सतपुली से श्रीनगर डि. 196 से 276 वन भूमि 51/119
संख्या पंजा (4-367) हे० आरक्षित वन भूमि 90.115 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.151 हे० 7.12
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग पुनर्गठन प्रयोक्ता
एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील
पंजा) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
किशन सिंह जी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह जी उपजिलाधिकारी पंजा
- 2- श्री रवि कुमार (P.O.) उप प्रभागीय वन अधिकारी पंजा
- 3- श्री रविंद्र सोमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पंजा सदस्य/सचिव
- 4- श्री अमिता कान्वाल बी०डी०सी० क्षेत्र पंजा सदस्य Amita

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत करवाया गया
कि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के कि.मी 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) के दो लेन निर्माण
हेतु वन भूमि 51/119 परियोजना हेतु 26.274 हे० वन भूमि
राष्ट्रीय राजमार्ग पुनर्गठन प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला
लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार
पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

उप जिला अधिकारी
पंजा

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, 4/8/19 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 32593 उपरिक्षेत्र के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- जिला मजिस्ट्रेट
जनपद- बारहसू पोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 4/8/19 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- जिला मजिस्ट्रेट
जनपद- बारहसू पोली

प्राप्ति-50.2

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पॉस्ट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पॉस्ट

उपखण्ड पॉस्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत 11/11/2019 दिनांक 196 से 276

सतपुली से श्रीनगर (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम
वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय
राजमार्ग धुमाकोर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पॉस्ट) की दिनांक 18/09/19 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन
सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पॉस्ट
- 2- श्री श्री राजी कृष्ण (8.0) उप प्रभागीय वनाधिकारी पॉस्ट उप जिलाधिकारी
- 3- श्री प्रमोद चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कलकत्ता सदस्य / रचित
- 4- श्री राजवंती देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कलकत्ता सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग 119 कि.मी. 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर) 03 दो लेन चौड़ाई 20-25 मी
धर्म प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग
रक्षा धुमाकोर प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संक्षिप्त उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित अति की वैधता की स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 32.552 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमको प्रयोज्य एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पौड़ी
जनपद- पौड़ी, गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पौड़ी
जनपद- पौड़ी, गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, श्रीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रमाणित 28 की
वैचारिक जिला (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम
7-92 मकान गिरान वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय
राजमार्ग, धुसाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक 19/04/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री माया दत्त
मोशी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री माया दत्त मोशी उपजिलाधिकारी, श्रीनगर अध्यक्ष
2- श्री मनोहर खी जयल उप प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य
3- श्री प्रमोद प्रसाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी खिरई सदस्य/सचिव
4- श्री प्रमोदी सरिता धनाइ बी0डी0सी0 क्षेत्र जंगरहावा सदस्य सरिता

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग-119(834) कि.मी. 196 से 276 (सतपुरी से श्रीनगर) एक दो लेन चौड़ीकरण हेतु 32
553 हे.मी. 28.19 परियोजना हेतु 26.274 हे.मी. 28.19 राजमार्ग
26.274 धुसाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (534) परियोजना के निर्माण हेतु 32-553 480 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रकोट प्रयोक्ता एजेंसी को जगह में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- श्रीनगर
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- श्रीनगर
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276 सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पंजाब

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पंजाब

उपखण्ड पंजाब - परिक्षेत्र के अन्तर्गत MM 119 (534) 196 से 276 (सतपुली से श्रीनगर)

निसं. 3 (4-36-7) हे० आरक्षित वन भूमि 30:115 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0:151 हे० 7-92 मखवा वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32:553 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग 119 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पंजाब) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पंजाब अध्यक्ष
- 2- श्रीमती रवी कुमारी (20) उप प्रभागीय वनाधिकारी पंजाब सदस्य
- 3- श्री धनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी पंजाब सदस्य
- 4- श्री पक्की बी०डी०सी० क्षेत्र पंजाब सदस्य

(पूनम चमोली) उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

परियोजना हेतु 26:274 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मानला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ५४७ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ५४७ परिक्षेत्र के अन्तर्गत NM-119 (डि.४) 1904276 सतपुरी चिखनपट्टा हेतु 9-1-2018 ५६८/१८ परियोजना के निर्माण हेतु 32-553 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ५४७
जनपद ५४७ गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ५४७ गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ५४७
जनपद ५४७ गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौडी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौडी

उपखण्ड पौडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत 119 (S14) कि.मी. 196 से 276 संतपुली

से श्रीनगर कि.मी. 276 (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोधम

1.92 मल्ला विस्तारक वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय

राजमार्ग एच0एच0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौडी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशोर
सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशोर सिंह नेगी उप-जिलाधिकारी पौडी अध्यक्ष
- 2- श्री रवि कुमार (R0) उप प्रमाणिक जिलाधिकारी पौडी सदस्य
- 3- श्री अमित कुमार सहायक जिलाधिकारी पौडी सदस्य / सचिव
- 4- श्री किशोर सिंह नेगी वी0डी0सी0 पौडी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग 119 (S14) कि.मी. 196 से 276 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन चौड़ीकरण हेतु
वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 36.374 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय
राजमार्ग 119 (S14) कि.मी. 196 से 276 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन चौड़ीकरण हेतु
प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखे गया। ग्राम समा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पॉडी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम राभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पॉडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 डि.जी. 196 से 276 (सतपुली मे शीनगर) परियोजना के निर्माण हेतु 32.50 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जंगल में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिला मजिस्ट्रेट
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पॉडी
जनपद- पॉडी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पॉडी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप जिला मजिस्ट्रेट
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पॉडी
जनपद- पॉडी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतेपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NM-119 (सतेपुली से श्रीनगर)

किमी 196 से 276 (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम

7.42 मल्ला निस्तारण वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.533 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय

राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डिप्टी सिं
नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री डिप्टी सिं नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
- 2- श्रीमती रानी लुधन (R) उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी सदस्य
- 3- श्री पुनम चमोली सहायक समाज कल्याण अधिकारी कल्बीखाल सदस्य / सचिव अमरी
- 4- श्री समाज कल्याण अधिकारी दामवरी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कल्बीखाल सदस्य दामवरी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय

राजमार्ग 119 (534) कि.मी. 196 से 276 (सतेपुली से श्रीनगर) दो लेन चौड़ीकरण हेतु

वन भूमि 32.533 परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय

राजमार्ग 119, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी

के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के

अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मानला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति

के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पं.डी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी निगम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, पं.डी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NM.119 (सतपुड़ी) से श्रीमता बि.डी. 176 से 176 परियोजना के निर्माण हेतु 32-558 80 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुनानेर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3/16/14
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पं.डी
जनपद- पं.डी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पं.डी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/16/14
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पं.डी
जनपद- पं.डी गढ़वाल

समकोरी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनकारी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादित भूमि की
वैधानिक स्थिति (4.36 च. हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल एवं रोडम
7.42 मखवा निस्तरित भूमि 0.151 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय
राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनकारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/19 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह
नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी
- 2- श्री मती राखी जुझार (R.O.) उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री अनिल कुमार सेनवाल सहस्रक सचिव, कल्याण अधिकारी
- 4- श्री मति सैतोषी रावत वी०डी०सी०

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों का अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग-119 (534) के कि०मी० 196 से 276 (सतपुरी से श्रीनगर) दो लेन चौड़ीकरण
हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग स्वयं
धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यवर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप ग्रामीय वनाधिकारी, पंजी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

हैतक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पंजी संक्षेप के अन्तर्गत NM-119(534) सतपुड़ी मेखीनगर परियोजना के निर्माण हेतु 82-953 80 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-

जनपद-

पंजी 316914

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पंजी 316914 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-

जनपद-

पंजी 316914

कमेड/सिंह

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (सतपुड़ी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पौड़ी
अनुरूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की कार्यवाही

सिमावित्त (4.36.7) हे० आरक्षित वन भूमि, 20.151 हे० सिविल एवं सोयन

7.92 हे० वन भूमि 0.151 हे० वन पंचायत भूमि, अथवा कुल 32.553 हे० वन भूमि का लोक

निर्माण विभाग धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उप-जिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
- 2- श्रीमती राखी कुमारी (R.O.) उप प्रोग्रामी वनाधिकारी
- 3- श्री कमल जैनवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य/सचिव कल्याण अधिकारी
- 4- श्री सवित्री देवी वी०डी०सी० क्षेत्र पौड़ी सदस्य गढ़वाल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप-जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग - 119 (534) के कि०मी० 196 से 276 (सतपुड़ी से श्रीनगर) तक दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग स्वतः, धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत अवि असि की वैधानिक स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 32.553.30 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुताकोट प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पौड़ी

जनपद- गढ़वाल

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, पौड़ी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- पौड़ी

जनपद- गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, पं०
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पं०

उपखण्ड पं० परियोजना के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली से खीरगा)

दि० 196+0276 (4.367 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल एवं सोयम
वन भूमि 0.151 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 24.553 हे० वन भूमि) का 21.5

राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पं०) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का बैठक को किशन सिंह
नेगी उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किशन सिंह नेगी उप-जिलाधिकारी पं०
- 2- श्री रखी जुयाल (R.O) उप प्रभारी वन अधिकारी पं०
- 3- श्री अनिल सेमवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी पं०
- 4- श्री धर्मपाल वी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपा जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि NH-119
दि० 196+0276 (सतपुली से खीरगा) वन के दो लेन चौड़ाकरण हेतु का प्रस्ताव

परियोजना हेतु 26.274 हे० वन भूमि
राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। प्राग राना के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 82.553 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पौड़ी
जनपद- गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पौड़ी
जनपद- गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के किमी0 146+00 से 276+00 (सतपुड़ी से ठीनगा) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी पौड़ी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 119 धामाडिग

श्री श्री वैष्णविक स्थिति (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल एवं सोयम

भूमि 0.151 हे0 वन गंवायत भूमि, अर्थात् कुल 30.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय

राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पौड़ी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किरान सिंह नेगी उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री किरान सिंह नेगी उपजिलाधिकारी पौड़ी अध्यक्ष
- 2- श्री श्री राजी कुमार (र.0) उप प्रमाणिक वनाधिकारी
- 3- श्री अनिल शर्मा वर सहस्रक समन्वयक/सहस्रक समिति के अध्यक्ष
- 4- श्री श्रीमलाल जी वी0डी0 140 क्षेत्र विकास कार्य पौड़ी सदस्य/सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय

राजमार्ग 119 (534) कि.मी. 146 से 276 (सतपुड़ी से ठीनगा) तक दो लेन चौड़ी करण

धु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 26.274 हे0 वन भूमि 21 फ्री प्र

राजमार्ग खण्ड, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी

के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा को

अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला उभिया नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति

के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी पं.डी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वंग अधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पं.डी परिक्षेत्र को अन्तर्गत एम-119 संयुक्ती मे.डीनगर परियोजना के निर्माण हेतु 32.553 40 वन भूग.राष्ट्रीय राजमार्ग धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पं.डी
जनपद- पं.डी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी पं.डी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पं.डी
जनपद- पं.डी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (534) के किमी 196 से किमी 276
सतपुली से श्रीनगर के 2 लेन निर्माण हेतु

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पंजी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पंजी

उपखण्ड पंजी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली से श्रीनगर) 196 से 276 हेतु आरक्षित वन 22.55 हे० सिविल एवं सोयन वन भूमि 0.33 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 22.88 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (शहसील पंजी) की दिनांक 18/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को बैठक श्री किशन सिंह नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <u>किशन सिंह नेगी</u> उपजिलाधिकारी <u>पंजी</u> अध्यक्ष	उप जिला मजिस्ट्रेट वारहस्यू पोड़ी अनुसूचित कर्मचारी सदस्य के पंचायत कार्ड 03 भा. (कफा) कलजीखाल
2-	श्री <u>रवि कुमार</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>पंजी</u> सदस्य	
3-	श्री <u>धनम चन्द</u> सहायक सनाज कल्याण अधिकारी <u>कलजीखाल</u> सदस्य/सचिव	
4-	श्री <u>अरुण कुमार</u> बी०डी०सी० क्षेत्र <u>कलजीखाल</u> सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उन जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की नीतिगत माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि NH-119 (534) कि.मी 196 से 276 सतपुली से श्रीनगर 2 लेन का निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 2003 धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।
उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पंजी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पंजी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (सतपुली - श्रीनगर) कि.मी 196 से 276 परियोजना के निर्माण हेतु 22.88 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहेत में राक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पंजी (राजवाड़ा) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
शहसील पंजी
जनपद पंजी गढ़वाड़ा
उप जिला मजिस्ट्रेट
वारहस्यू पोड़ी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-जीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, जीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जीनगर

उपखण्ड जीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत शक्ति शक्ति वैधानिक
स्थिति सिद्धि (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.125 हे0 सिविल एवं सोयम
वन भूमि 0.151 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय
राजमार्ग धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जीनगर) की दिनांक 19/04/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री माया दत्त
जोशी उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री माया दत्त जोशी उपजिलाधिकारी जीनगर अध्यक्ष
- 2- श्री प्रमोद प्रसाद उप प्रभागोय वनाधिकारी जीनगर सदस्य
- 3- श्री सुरेश सिंह शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी जीनगर सदस्य/सचिव
- 4- श्री सुरेश सिंह शर्मा बी0डी0सी0 क्षेत्र जीनगर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग 119 (534) कि.मी. 196 से 276 (सतपुरी से जीनगर) तक दो लेन चौड़ाकरण हेतु
वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 36.274 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग
276, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पेड़ी द्वारा अनुसूचित जगजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय नदियों को अदगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत पेड़ी श्रीनगर गढ़वाल परियोजना के निर्माण हेतु 32553 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुनाकेर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- श्रीनगर

जनपद- पेड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पेड़ी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
श्रीनगर गढ़वाल

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- श्रीनगर

जनपद- पेड़ी गढ़वाल

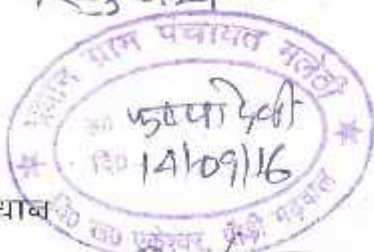
Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

दिनांक 14/09/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
14/09/16
 ग्राम पंचायत मलेडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गुन्नाम	
2.	कुमर सिंह	कुमर सिंह
3.	सत्येोध सिंह	
4.	वेणु प्रकाश	वेणु प्रकाश
5.	हरिभक्त	हरिभक्त
6.	भुविन्द सिंह	भुविन्द सिंह
7.	सुरेश भट्ट	सुरेश भट्ट
8.	केदारनाथ	केदारनाथ
9.	खमरु	खमरु
10.	श्यामल कपूर	श्यामल कपूर
11.	मोक्ष भक्त सिंह	मोक्ष भक्त सिंह
12.	हरेश्वर	हरेश्वर

ह0/-

ग्राम प्रधान



13.

हरिभक्त

भालव सिंह

भालव

भालव

भालव सिंह

भालव

भालव

प्रारूप - 30.4

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 1950-200 से 276.0
सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

दिनांक 31/12/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत विष्णु बुन्गा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विनोद सिंह ग्राम नौली	विनोद सिंह
2	विजय सिंह " नौली	विजय सिंह
3	अनवर सिंह " नौली	अनवर सिंह
4	वीरबल सिंह " नौली	वीरबल सिंह
5	पद्मेश सिंह " " "	पद्मेश सिंह
6	गजेन्द्र सिंह " नौली	गजेन्द्र सिंह



प्रारूप - 30.4

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195.2.20 से 276.00
 अतपुली-जवाहरपा-अमनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

दिनांक 31/12/2016 को ग्राम सुमा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत डांग

क्रमांक	ग्राम रागा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	रविश्री लाल	<i>रविश्री लाल</i>
②	मुकेश नौगी	<i>Mukesh</i>
③	प्रदीप सिंह	<i>प्रदीप सिंह</i>
④	अनिल सिंह	<i>अनिल सिंह</i>
⑤	हीरा सिंह	<i>हीरा सिंह</i>
⑥	बसन्ती देवी	<i>बसन्ती देवी</i>
⑦	नागेश चंद	<i>नागेश चंद</i>



प्रारूप - 30.4

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=0
अरपुरी-ज्वालपा-झीनगर, दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

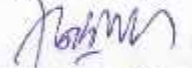
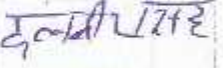
दिनांक 01/01/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत अणेश

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बेराकिष्ठा पण्डित	बेराकिष्ठा
2	शिवन्ती देवी	शिवन्ती देवी
3	मकानी देवी	मकानी देवी
4	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
5	माधुरी देवी	माधुरी देवी



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 130+00 से 138+00 (कोठार-ततापुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

दिनांक 08/01/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पहुल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	प्रदीप सिंह	
2-	अनूप सिंह	
3-	प्रमोद सिंह	
4-	ओम प्रकाश सिंह	
5-	वसुधर सिंह	



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (संतपुली-डीनगर) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

दिनांक 02/03/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत..... डोजे - हवेली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	डेन-ड उमाड गट	
②	विजय सिंह बनार	
③	आश्वीष कुमार	
④	अन-द सिंह बंगल	
⑤	अन-द सिंह बंगल	

ग्राम पंचायत अधिकाारी
ग्राम पंचायत
विहारा बंगल
हवेली
डोजे - हवेली

ग्राम प्रधान
दि. 2/3/2017
कि. 00 बि. 00 नमस्ते

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग नं० एन०एच० 119 के कि०मी० 146+00 से 228+00 (खतपुली-मीनठरे) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 08/01/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत 04/21/17

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित दूरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	मोहन चन्द इरवाण	मोहन चन्द
2	नरेश चन्द डोमाल	नरेश कुमार
3	हेमवीर नन्दन	हेमवीर नन्दन
4	राजेश चन्द	राजेश डोमाल
5	शक्ति नन्दन	शक्ति

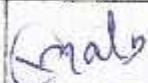
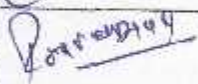
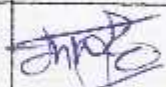
हस्ताक्षर :-

ग्राम प्रधान - 04/21/17



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 19.52200 से 27.62
~~अमपुरी - ज्वालपुर श्रीनगर~~ दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 30/12/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत चिठौडाल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	ज्वालम सिंह	
(2)	बलकौर सिंह	
(3)	प्रवीन सिंह टायल	
(4)	कमल सिंह	
(5)	अमर सिंह	

(6) बकीरादेवी
 (7) शमशेर राय

बकीरादेवी पालूराय

ह0/-

ग्राम प्रधान

चिठौडाल (पाँच)

परियोजना का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११७ के कि०मी० १९५-२० २७६२
 सत्रपुरी - जवाहरपुरा - श्रीनगर रोड का सड़क चौड़ीकरण योजना

दिनांक 30/12/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम प्रचारिता श्री पी. पी. ली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	श्री प्रकाश जगदीप सिंह	प्रकाश
२	किशोर लक्ष्मी सिंह	किशोर लक्ष्मी
३	सोनी देवी	सोनी
४	महाराज सिंह	महाराज
५	अनुराग सिंह	अनुराग
६	विकास सिंह	विकास

हस्ताक्षर -

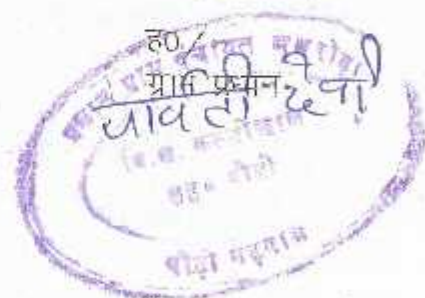
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० १४९ के कि०मी० १९५२२० र २७६२००
~~मनपुरी-ज्वालपा-बीगाँव~~ को लेन सड़क घाटी कारण जावत।

दिनांक ३१/१२/२०१६ को ग्राम सभा की सामान्य बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत अमरौरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ जायवासियों का नाम	हस्ताक्षर
①	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
②	लाल सिंह	लाल सिंह
③	म. लाल कर्मा	म. लाल कर्मा
④	जसपाल सिंह	जसपाल सिंह
⑤	किशोर सिंह	किशोर सिंह
⑥	मातल सिंह	मातल सिंह
⑦	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह



परियोजना का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ११९ के कि०मी० १९६
 २७६+०० सवणी-श्रीनगर को लेने संबंधी गीटा कागज

दिनांक १९/०३/२०१७ को ग्राम सभा में सम्पन्न होने की घोषणा

ग्राम संवर्धन करिडोर कार्य

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित करिडोर सम्पन्न करने वाले	
०१	मनू चावड़ा	अभिषेक
०२	राजेशाहिरे	राजेशाहिरे
०३	राजेशाहिरे	राजेशाहिरे
०४	वीरेशाहिरे	बीर
०५	सुनीलशिरे	सुनील

हस्ताक्षर -

ग्राम प्रधान



ग्राम पंच - सवणी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200से276.26
 आपली ज्वालपानीमार्ग दो लेन सडक चौडी करण बाबत।

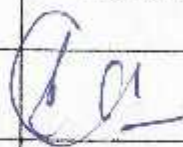
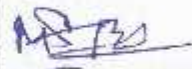
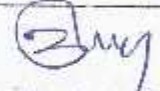
दिनांक 31/12/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत आपली (कफोलसंग्र)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	केवलदास	केवल
②	राजेश्वर प्रसाद	राजेश्वर
③	मदन सिंह	मदन सिंह
④	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
⑤	राजेश्वर प्रसाद	राजेश्वर प्रसाद
⑥	इन्दु सिंह	इन्दु सिंह

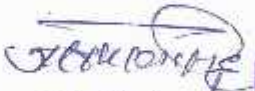


परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195-200 से 276=0
मतपुली-जबलपुर-झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

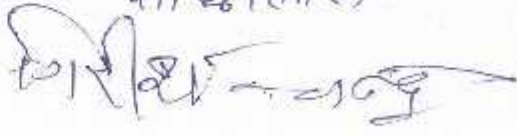
दिनांक 01/01/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत इकीली विष

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रवि-र सिंह	
2	भातार सिंह	
3	बलवोर सिंह	
4	मंगरनाथ सिंह बिष्ट	
5	बिल्लो न सिंह	

- 6 मन्तरा सिंह बिष्ट
- 7 जलपावा सिंह
- 8 भाग्यवती सिंह
- 9 उमेश चौरा
- 10 सोहन लाल
- 11 
- 12 


Bis Lal Singh
ग्राम प्रधान



30/-
सोहन लाल


परियोजना का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-119 के कि०मी० 196-200 के
 276.400 (सलपुली - श्रीनगर) को दोनो सड़क चौड़ी करण कायम

दिनांक 14/2/17 को ग्राम समिति सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम प्रचारक कि रेवडी

क्रमांक	ग्राम समिति में उपस्थित चरित ग्रामवासियों के नाम	उपस्थिति
1	दीर्ग सिंह	दीर्ग सिंह
2	जेम सिंह	जेम सिंह
3	गजेन्द्र सिंह रावत	<i>Gajendra Singh</i>
4	सुनील अप्पलियाल	<i>Sunil</i>
5	सरत सिंह	सरत

80/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी01952200 से 276200
 अतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सडक चौडी करण बावत।

दिनांक 02/11/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत तोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मेन्का देवी w/o संजय नेगी	मेन्का देवी
2	सुमन देवी	सुमन देवी
3	आनन्द सिन्हा	आनन्द सिन्हा
4	सुलेखा देवी w/o सोहन सिंह	सुलेखा देवी
5	फा देवी	फा देवी
6	मेन्का देवी	मेन्का देवी
7	दुर्गा देवी	दुर्गा देवी

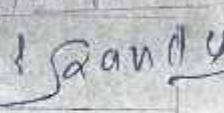
ह0/-
 ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम -- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११० के कि०मा० १९६-०० से २१६-०० (सतपुरी-भीमगर) को लेने सड़क बोलो कार्य जायदा।

दिनांक ३०-०३-२०१७ को ग्राम सभा की आमन बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कमेड़ा

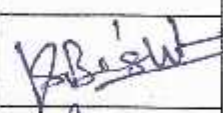
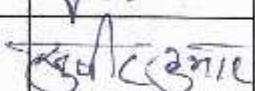
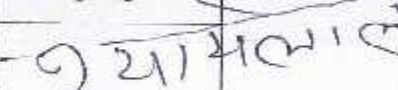
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वॉलेट ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महेन्द्र प्रसाद शर्मा	
2	हरिचन्द्र शर्मा	
3	मानसिंह शर्मा	
4		
5		



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सडक चौडी करण बावत।

दिनांक 18/4/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बगौर तालाब

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	विजेंद्रसिंह विष्ट	
2-	सुधीर कुमार	
3-	मोमल सिंह	
4-	महेन्द्रसिंह विष्ट	
5-	श्यामलाल	

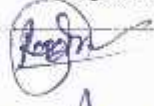
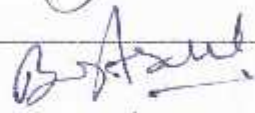
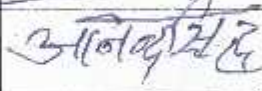
ह0/-

ग्राम प्रधान



Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

दिनांक 07/04/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नख्वाड

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	प्रेमचंद सिंह	
2.	अपेन्दाहि पंवा (गौन)	
3.	इशान सिंह अमराव लख्वाड	
	आनंद सिंह	



ग्राम प्रधान

Anand
आनंद सिंह
राजस्थान राज्य निर्माण
परी - मैहोलाई
चौधरी राजलाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 19.5240 से 27.640
 सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 02/01/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नौगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सतीशचंद्र	सतीशचंद्र
2-	सुनीलचंद्र	सुनीलचंद्र
3-	दिवकराजी	दिवकराजी
4	मनीषचंद्र	मनीषचंद्र
5-	मनवर सिंह	मनवर सिंह



Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

दिनांक 07/09/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोड़करी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गैड्डा लाल मगगाई	
2.	नारदानन्द मगगाई	
3.	शैलेश दुकलान	
4.	राम सिंह	
5.	राहुल मगगाई	
6.	लामसिंह	

ह0/-

ग्राम प्रधान



संयोजक
ग्राम पंचायत जोड़करी
पीडी पदवार

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195-200 से 276
सतपुरी-जवाहरपा-त्रीतगढ़ दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 195-200 से 276-600 तक सतपुरी-जवाहरपा-त्रीतगढ़ के दो
लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं मृनि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई
आपत्ति नहीं है।



ह0
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-196.000 to 276.000) section NH-119 (538) in Pauri Forest Division of Pauri District.

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गाँवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।

युद्धा
अधिरासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, कोटिगोविंद
मुनाबंद पीडी (गढ़वाल)


अधिरासी अभियन्ता
रा.म.खण्ड, कोटिगोविंद
श्रीनगर (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता
रा.म.खण्ड, कोटिगोविंद
श्रीनगर (गढ़वाल)



Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग -119 के कि.मी. 195.200 से 276.000 तक
सतपुली - ज्वाल्पा - श्रीनगर के दो लेन सड़क चौड़ाकरण हेतु जो
वन वृक्ष एवं भूमि का क्षतिग्रस्त हो रहा है उससे हमें कोई
अनापत्ति नहीं है।



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

अत्र संख्या ४

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 ~~समतल भूमि~~ दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 196.00 से 276.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।



ह0

ग्राम प्रधान / सरपंच अ. प्र. म.
मुहर सहित

परियोजना का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0ए40 118 के कि0मी0 196-00 से 276+00 सदपुली-श्रीनगर, दो लेन सड़क मोती करम बाघर।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग - 118 के कि0मी0 196 से 276 तक ~~एन0ए40~~ के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो यन-बुदा एन ग्रीन का अतिक्रमण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 1.96+00 से 2.76+00 (सतपुड़ी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 1.00 से 2.00 तक के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वाम 
ग्राम प्रधान 
मुख्य अधिकारी
विभाग
समाप्त



सत्य प्रतिलिपि

वीरगंज ग्राम पंचायत डेज-रेखा विरह-खिल जिला
प्रतिलिपि प्रसार से 01 दिनांक 02/03/2017

आज दिनांक 02/03/2017 को ग्राम समा डेज-रेखा की
आवश्यकतानुसार प्रधान की सफाई के लिए की गई।
को सफाई की गई। इसी विषय प्रसार पाठ
सिद्धि करें

प्रसार 2001 राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर 119 के
किमी 139+00 से 196+00 (कोरबा
- सतपुरा) के लेव सड़क चौड़ीकरण कार्य

के लिए 200 मीटर से 200 मीटर 119 के
किमी 139+00 से 196+00 (कोरबा - सतपुरा),
को लेव सड़क चौड़ीकरण कार्य किया। विशेष किता
गया नया अचो के लेव सड़क चौड़ीकरण कार्य
होने के बाद ग्राम पंचायत को रेखा में कोई आपत्ति
नहीं है।

सत्य प्रसार खत समाप्ति से पाठित

सत्य प्रतिलिपि प्रसारित,

प्रसारित

ग्राम पंचायत
विभाग
सतपुरा



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत ।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है ।



H0/...
याम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सूच्य पत्र संख्या ९

[illegible]

नोट: प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे।

काय पत्र संख्या ४

[illegible]

नोट: प्रत्येक छात्र/छात्री को अलग में प्रधान और प्राथम पंचायत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे।

कार्यवाही का रजिस्टर

[illegible]

नोट: प्रत्येक छात्र/छात्री को अपने दो प्रधान और पांच पंचायत अधिकारी अपने द्वारा दिए कार्डों पर लिखना है।

कार्यवाही का रजिस्टर

[illegible]

नोट: प्रत्येक कार्यकारी को अन्य में प्रधान और प्रायः पंचायत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करें।

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 1952200 से 276
अनूपती - चकलपा - मीनगढ़ दो लेन सड़क चौड़ी करण बाधता।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 1952200 से 276240 तक अनूपती (चकलपा) मीनगढ़ दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।



कार्यव

रूप पात्र संख्या 8

क्र. सं.	आश्रित सदस्यों का नाम	प्रभाव संख्या
1	1	3
2	2	3
3	3	3
4	4	3
5	5	3
6	6	3
7	7	3
8	8	3
9	9	3
10	10	3
11	11	3
12	12	3
13	13	3
14	14	3
15	15	3
16	16	3
17	17	3
18	18	3
19	19	3
20	20	3
21	21	3
22	22	3
23	23	3
24	24	3
25	25	3
26	26	3
27	27	3
28	28	3
29	29	3
30	30	3
31	31	3
32	32	3
33	33	3
34	34	3
35	35	3
36	36	3
37	37	3
38	38	3
39	39	3
40	40	3
41	41	3
42	42	3
43	43	3
44	44	3
45	45	3
46	46	3
47	47	3
48	48	3
49	49	3
50	50	3
51	51	3
52	52	3
53	53	3
54	54	3
55	55	3
56	56	3
57	57	3
58	58	3
59	59	3
60	60	3
61	61	3
62	62	3
63	63	3
64	64	3
65	65	3
66	66	3
67	67	3
68	68	3
69	69	3
70	70	3
71	71	3
72	72	3
73	73	3
74	74	3
75	75	3
76	76	3
77	77	3
78	78	3
79	79	3
80	80	3
81	81	3
82	82	3
83	83	3
84	84	3
85	85	3
86	86	3
87	87	3
88	88	3
89	89	3
90	90	3
91	91	3
92	92	3
93	93	3
94	94	3
95	95	3
96	96	3
97	97	3
98	98	3
99	99	3
100	100	3

नोट: प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 19.5-20 से 276.0
सतपुरी-जालपा-अननगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 19.5-20 से 276.0-000 तक सतपुरी-जालपा-अननगर के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।



कार्यवाही का रजिस्टर

क्र. सं.	प्रतिष्ठान सदस्यों का नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	सुभाष	3	आजु दिनों के आभे 2006 के	कमलेश
2	राजेश		ग्राम पंचायत - बिष्टु मुंगी की	
3	सुभाष		गांव पंचायत केक के अग्रणी	शेखरी देवी
4	नेवा देवी		पंचायत की सुभाष की	पीनाक्षी
5	अनीष		अग्रणी के आभे के गरी	
6	गुनी देवी		निअने निअने के पंचायत की	
7	गुनी देवी		गरी -	
8	गुनी देवी	1	पिछनी का प्रतीति पंजी गरी	
9	गुनी देवी		एक पंचायत आभे की गरी	गुनी देवी
10	गुनी देवी	2	राष्ट्रीय राजभाषा मिश्रण	गुनी देवी
11	गुनी देवी		एन.एन. 119 के किलोमी	गुनी देवी
12	गुनी देवी		1954-200 के 276+00 नमूनी	गुनी देवी
13	गुनी देवी		नमूना की नगर दो लेन गडक	गुनी देवी
14	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
15	गुनी देवी		वेक के राष्ट्रीय राजभाषा मिश्रण	गुनी देवी
16	गुनी देवी		एन.एन. 119 के नौडी करण	गुनी देवी
17	गुनी देवी		पंच विचार किया गया योजना	गुनी देवी
18	गुनी देवी		के नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
19	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
20	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
21	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
22	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
23	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
24	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
25	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
26	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
27	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
28	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
29	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी
30	गुनी देवी		नौडी करण व वन विचार -	गुनी देवी

नोट: प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और राज्य संस्थागत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे।

कार्यवाही का रजिस्टर

क्र.0. सं.0.	उपनिबन्ध सदस्यों का नाम	प्रमाण संख्या	कार्यवाही विवरण	सदस्यों को हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
			जो कि किसी भी आदिवासी समुदाय में आदिवासी का केंद्र है। इसी तरह महिला केन्द्र का भी है। इससे जो निमित्त और योजना के निमित्त है उस आदिमित्त वत आदि पर अधिकारियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। अतः प्रमुख पंचायत - निम्न लोगों को प्रमुख - जिला - जिला जगत को प्रमुख वत आदि समुदाय सदस्यों को पंचायतों के निमित्त है इससे ज्ञात पर को इस पंचायत नहीं है। प्रमाणित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत - निम्न लोग वि.सं. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762.	

नोट: प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे।

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 19.5=20.00 से 27.6=28.00 तक ~~सुपुली-जवाहरपुरा-श्रीनगर~~ दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 19.5=20.00 से 27.6=28.00 तक ~~सुपुली-जवाहरपुरा-श्रीनगर~~ के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।



ह0/20 करियाल (कि0 मी0)
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११९ के कि०मी० १९५-२०० से २७६-२००

सनपुली-जातपो-औतगड को लेन सड़क चौड़ी करण प्रस्ताव ।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- ११९ के कि०मी० १९५-२०० से २७६-२०० तक सनपुली-जातपो-औतगड के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हम कोई आपत्ति नहीं है ।

६०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के वि०मी० 195-200 से 276-
~~सतपुरी-खालण-श्रीवंगर~~ को लेन-सड़क चौड़ी करण योजना।

आम सभा का अनापति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के वि०मी० 195-200 से 276-281 को ~~सतपुरी-खालण-श्रीवंगर~~ को लेन-सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकारण हो रहा है उसमें हम कोई आपत्ति नहीं है।



सूचक पत्र संख्या ४

क्र. सं.	अतिथित सदस्यों का नाम	प्रमाण संख्या	कार्यवाही विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	श्री. चतुर्ती शर्मा	3	आज दिनांक 12/12/2016 को	12/12/2016
2	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
3	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
4	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
5	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
6	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
7	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
8	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
9	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
10	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
11	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
12	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
13	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
14	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
15	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
16	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
17	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
18	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
19	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	
20	श्री. अमरेश शर्मा		आश चतुर्पत्र - अमरेश की	

नोट: प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और प्रायः पंचायत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे।

सूच्य पात्र संख्या ४

क्र. सं.	अभिज्ञात सदस्यों का नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
			और अप्रतिमसी अर्थात् गैर आदिमसी का मतलब। कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकी जानकारी परियोजना के निष्ठाग हेतु अनुरोध वन धाम पर अनुवासियों के परम्परागत अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः प्रथम पंचायत-अनुसूचित क्षेत्र - आप लड़ नंगा गाँव के गाँव तालिफों के उत्तर वन धामी प्रमुखता एजेन्सी को समीक्षा के निर्वाह हेतु दिनांक जून पर कोई आपाती नहीं है। [Signature] ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत [Signature] विन्खो [Signature] गढ़वाल पावेदी	

नोट: प्रत्येक कार्यवाही के अन्त में प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे।

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११९ के कि०मी० १९६+०० से २७६+०० (खतपूरी शीतगढ़) को लेन सड़क घोषित करण बाक्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- ११९ के कि०मी० १३९.०० से १९६.०० तक गौदहल-सातपुला के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमे हम कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर :-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित ✓



मा.प. - खतपूरी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

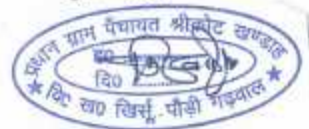
आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 196.00 से 276.00 तक सतपुरी-श्रीनगर के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत श्रीनगर
दिनांक 15/05/2024
पेटी 216/2024

ह0/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



राज्य परिवहन विभाग ग्राम सभा - श्रीकोट खण्ड
प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 08/08/2019

कारणों) ग्राम पंचायत श्रीकोट खण्ड वि. ए. वि. सं. 16.
परिवहन प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 08/08/2019 को ग्राम सभा
श्रीकोट खण्ड की आवश्यक बैठक प्रधान एवं निरीक्षक
की अध्यक्षता में समान की गई.

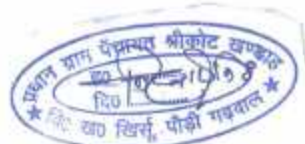
प्रस्ताव सं. 1 - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114
के कि.मी. 139+00 से 146+00 (कोटधार
सड़क) दो लेन सड़क चौड़ीकरण वास्तव -

पैदाश से सर्वेक्षण से डमरु एवं सच
114+00 के कि.मी. 139+00 से 146+00
कोटधार सड़क दो लेन सड़क चौड़ीकरण
वास्तव विचार किया गया तथा चौकीकरण
कार्य बाक ग्राम पंचायत श्रीकोट खण्ड
को कोई क्षायाली नहीं है,

प्रस्ताव सर्वेक्षण से पारित किया -

संलग्न :- समर्थित
राष्ट्रीय राजमार्ग
के प्र. सं. (प्र. सं. 1)

ग्राम पंचायत अध्यक्ष, श्रीकोट खण्ड
उप-प्रमुख, श्रीकोट खण्ड
दि. 08/08/2019



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=2= से 276=
~~सतपुरी-ज्वालपा-श्रीगढ़~~ दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

आम समा का अनापति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 195=2= से 276=~~सतपुरी-ज्वालपा-श्रीगढ़~~ के दो
लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमे हमे कोई
आपति नहीं है।



कार्यवाही का रजिस्टर

क्र. सं.	उपस्थित सदस्यों का नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	श्री. सुनील सिंह		आज दिनांक 20/12/2016 को	अध्यक्ष
2	श्री. सुनील सिंह		अध्यक्ष पत्राचार - आपसी को	सुरेश कुमार
3	श्री. सुनील सिंह		गांव पंचायत - नैक का	रविशंकर
4	श्री. सुनील सिंह		आयोजित प्रोग्राम पर श्री. मोहन	
5	श्री. सुनील सिंह		सिंह जी की अध्यक्षता में	
6	श्री. सुनील सिंह		प्र. आयोजित की गई जिसमें	अनील देवी
7	श्री. सुनील सिंह		निम्न कार्यवाही सम्बन्धित है	अनिल देवी
8	श्री. सुनील सिंह		पिछली कार्यवाही पर दी गई	
9	श्री. सुनील सिंह		एन पटकर पुष्प की गाड़ी	
10	श्री. सुनील सिंह		राष्ट्रीय राजप्रां. सं. 200	
11	श्री. सुनील सिंह		एन. सं. 119 के किमी	
12	श्री. सुनील सिंह		195-200 से 276+00 गज तक	
13	श्री. सुनील सिंह		सावपा-सीतगढ़ हा. लेन	
14	श्री. सुनील सिंह		सड़क चौड़ीकरण करवाने	
15	श्री. सुनील सिंह		वि. नं. 12	
16	श्री. सुनील सिंह		बैक के राष्ट्रीय राजप्रां.	
17	श्री. सुनील सिंह		सं. 200 से 276+00	
18	श्री. सुनील सिंह		किमी 195-200 से 276+00	
19	श्री. सुनील सिंह		पर वि. नं. 12 कि. मी. गज	
20	श्री. सुनील सिंह		मंजूर की गई है सावपा-सीतगढ़	
21	श्री. सुनील सिंह		सीतगढ़ के हा. लेन सड़क	
22	श्री. सुनील सिंह		चौड़ीकरण की प्रस्तावित है	
23	श्री. सुनील सिंह		बैक में वन प्रदायक के सम्बन्ध	
24	श्री. सुनील सिंह		में आपसी प्रस्ताव पर वि. नं.	
25	श्री. सुनील सिंह		कमरे पर बनाई की गई है	
26	श्री. सुनील सिंह		न. आयोजित की गई जिसमें	
27	श्री. सुनील सिंह		2016 के प्रस्तावों के तहत	
28	श्री. सुनील सिंह		आयोजित, न. प्र. प्र. प्र. प्र.	
29	श्री. सुनील सिंह		किमी 195-200 से 276+00	
30	श्री. सुनील सिंह		गज, 200 से 276+00	

कार्यवाही का रजिस्टर

क्र. सं.	उपस्थित सदस्यों का नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	श्री. सुनील सिंह		आज दिनांक 20/12/2016 को	अध्यक्ष
2	श्री. सुनील सिंह		अध्यक्ष पत्राचार - आपसी को	सुरेश कुमार
3	श्री. सुनील सिंह		गांव पंचायत - नैक का	रविशंकर
4	श्री. सुनील सिंह		आयोजित प्रोग्राम पर श्री. मोहन	
5	श्री. सुनील सिंह		सिंह जी की अध्यक्षता में	
6	श्री. सुनील सिंह		प्र. आयोजित की गई जिसमें	अनील देवी
7	श्री. सुनील सिंह		निम्न कार्यवाही सम्बन्धित है	अनिल देवी
8	श्री. सुनील सिंह		पिछली कार्यवाही पर दी गई	
9	श्री. सुनील सिंह		एन पटकर पुष्प की गाड़ी	
10	श्री. सुनील सिंह		राष्ट्रीय राजप्रां. सं. 200	
11	श्री. सुनील सिंह		एन. सं. 119 के किमी	
12	श्री. सुनील सिंह		195-200 से 276+00 गज तक	
13	श्री. सुनील सिंह		सावपा-सीतगढ़ हा. लेन	
14	श्री. सुनील सिंह		सड़क चौड़ीकरण करवाने	
15	श्री. सुनील सिंह		वि. नं. 12	
16	श्री. सुनील सिंह		बैक के राष्ट्रीय राजप्रां.	
17	श्री. सुनील सिंह		सं. 200 से 276+00	
18	श्री. सुनील सिंह		किमी 195-200 से 276+00	
19	श्री. सुनील सिंह		पर वि. नं. 12 कि. मी. गज	
20	श्री. सुनील सिंह		मंजूर की गई है सावपा-सीतगढ़	
21	श्री. सुनील सिंह		सीतगढ़ के हा. लेन सड़क	
22	श्री. सुनील सिंह		चौड़ीकरण की प्रस्तावित है	
23	श्री. सुनील सिंह		बैक में वन प्रदायक के सम्बन्ध	
24	श्री. सुनील सिंह		में आपसी प्रस्ताव पर वि. नं.	
25	श्री. सुनील सिंह		कमरे पर बनाई की गई है	
26	श्री. सुनील सिंह		न. आयोजित की गई जिसमें	
27	श्री. सुनील सिंह		2016 के प्रस्तावों के तहत	
28	श्री. सुनील सिंह		आयोजित, न. प्र. प्र. प्र.	
29	श्री. सुनील सिंह		किमी 195-200 से 276+00	
30	श्री. सुनील सिंह		गज, 200 से 276+00	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि. नं. 12
सीतगढ़



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0/952km से 276.5
~~सतपुरी - खालपा - डीनगर~~ दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0/952km से 276.5km तक ~~सतपुरी - खालपा - डीनगर~~ दो
लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई
आपत्ति नहीं है।



संघ सं. ५

क. ०.
सं. ०.

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११९ के कि०मी० १९६-०० से २७६+०० (सवपुरी-श्रीनगर) को लेन सड़क चौड़ी करण बावत ।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- ११९ के कि०मी० १९६.०० से २७६.०० तक सवपुरी-श्रीनगर के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच - सुनील कुमार

मुहर सहित



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=260 से 276
सतपुरी-जवाला-झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 195=260 से 276=000 तक सतपुरी-जवाला-
लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई
आपत्ति नहीं है।



ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

कार्यवाही का रजिस्टर

क्र.सं. सं.	अर्जित/अप्राप्त अवस्था	प्रमाण पत्रिका	अर्जित/अप्राप्त प्रमाण
1	2	3	4

[illegible]

पान पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
विन्ध्यमठ, विन्ध्यमठ, विन्ध्यमठ
गण्डिया

“万世师表”

सर्वप्रथम

कार्यवाही का रजिस्टर

क्र.सं. सं.	उपविभाग सं.सं.सं. सं. सं.	प्रकार सं.	का.सं.सं.सं. सं.	सं.सं.सं. सं.
1	2	3	4	5

[illegible]

कार्यवाही का रजिस्टर

क्र० सं०	उपस्थित सदस्यों का नाम	प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	श्री प्रमोद	3	आज दिनांक 02/01/2015 को	5
2	श्री प्रमोद	3	ग्राम पंचायत, तोली की गांव	
3	श्री प्रमोद	3	पंचायत, बौक के आधीगांव	
4	श्री प्रमोद	3	प्रमोद की शानकपुर की	राजेश
5	श्री प्रमोद	3	की आधीगांव में आधीगांव	अनिल
6	श्री प्रमोद	3	की गई, जिसमें निम्न कार्यवाही की गई	
7	श्री प्रमोद	3	आधीगांव की	
8	श्री प्रमोद	3	पिछली कार्यवाही पढ़ी गई	सुलेखा दे
9	श्री प्रमोद	3	एक पदकर पाछ की गई	नकली दे
10	श्री प्रमोद	3	श्री प्रमोद शानकपुर सरोवर	प्रमोद
11	श्री प्रमोद	3	एन० एन० 119 के किलोमीटर	मीता दे
12	श्री प्रमोद	3	195+200 से 276+00	समीक्षा
13	श्री प्रमोद	3	सापुती - जलपा - श्रीनगर	समीक्षा
14	श्री प्रमोद	3	श्री जल साइकल से की गई	समीक्षा
15	श्री प्रमोद	3	नकली दे	
16	श्री प्रमोद	3	बौक के शानकपुर शानकपुर	
17	श्री प्रमोद	3	एन० एन० 119 के जल	
18	श्री प्रमोद	3	केशन पर निहाइ किशोरगंज	
19	श्री प्रमोद	3	मोहन के तहत सापुती - जलपा	
20	श्री प्रमोद	3	श्रीनगर के दो दो साइकल	
21	श्री प्रमोद	3	श्री जल साइकल किशोरगंज	
22	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
23	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
24	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
25	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
26	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
27	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
28	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
29	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	
30	श्री प्रमोद	3	श्री जल के तहत सापुती - जलपा	

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११९ के कि०मी० १९६+०० से २७६+०० (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करना बाधत।

आम सभा का आवृत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- ११९ के कि०मी० १९६+०० से २७६+०० तक सतपुरी-श्रीनगर के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन भूत एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें वनों का आवृत्ति नहीं है।



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-झीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 196.00 से 276.00 तक सतपुरी-झीनगर के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

